

- (i) ज० वि० आकार-पत्र 49-घ के रूप में एक सूची जिसमें धारा 122-ग की उप धारा (3) में उल्लिखित तीनों वर्गों के व्यक्तियों के विवरण अलग-अलग दिये गये हों;
- (ii) ज० वि० आकार-पत्र 49-ड में धारा 122-ग की उपधारा (2) में वर्णित भूमियों की सूची; तथा
- (iii) गाँव के नक्शे का उद्धरण जिसमें उपर्युक्त सूची में दिये गये गाटों को दर्शाया गया हो।

(4) इस नियम के अधीन आबादी-स्थल के आवण्टन करते समय धारा 122-ग की उपधारा (3) में वर्णित वरीयता-क्रम को अवश्य अनुसरित किया जाय।

(5) इस नियम के अन्तर्गत आबादी-स्थल के आवण्टन हेतु कोई नजराना नहीं लिया जायेगा।

¹[115-ड. अन्य आबादी-स्थल—(1) नियम 115-ठ में निर्दिष्ट आबादी-स्थलों को छोड़कर जो गाँव सभ्रों में निहित हैं वे निवास के प्रयोजनार्थ या दातोत्तर प्रयोजनार्थ (charitable purposes) या कुटीर-उद्योग के गृह-निर्माण के लिए निम्नलिखित वरीयता-क्रम में आवण्टित किये जा सकते हैं—

- (क) भूमिहीन खेतियर मजदूर या ग्रामीण कारीगर जो उसी गाँव में रहता हो,
- (ख) भूमिधर या असामी जो गाँव में रहता हो और जिसके पास 3.125 एकड़ (पक्का 5 बीघा) से कम भूमि हो,
- (ग) गाँव में रहने वाला कोई अन्य व्यक्ति।

(2) इस नियम के अन्तर्गत आने वाला प्रत्येक आवण्टी (allottee) को भूमि के मौहसी दर से लगान का चालीस गुना धनराशि जमा करना होगा जो धनराशि गाँव-फण्ड के हिसाब में जायेगी :

परन्तु दानोत्तर (charitable) उद्देश्य के लिए आवण्टित स्थल के सम्बन्ध में कोई नजराना नहीं लिया जायेगा।

टीका टिप्पणी

उपर्युक्त नियम 115-ठ और 115-ड आवास-स्थल के आवण्टन के सिलसिले में हैं। ये दोनों नियम उ० प्र० जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122-ग से सम्बद्ध हैं। यह धारा अधिनियम में उ० प्र० भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 21, 1971) द्वारा बढ़ाई गई। पुनः उ० प्र० भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1986 (उ० प्र० अधिनियम संख्या 24, 1986) द्वारा यह धारा संशोधित हुई। इस धारा को यहाँ उद्धृत किया जाता है—

“धारा 122-ग. अनुसूचित जातियों के सदस्यों, खेतियर मजदूरों आदि के लिए आवास स्थलों के निमित्त भूमि का आवण्टन—(1) परगनाधिकारी सहायक कलेक्टर स्वतः या भूमि-प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तथा खेतियर मजदूरों, ग्राम के कारीगरों के आबादी-स्थल की व्यवस्था के लिए भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी को अलग (earmark) कर देंगे :

